

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-.....

सं०संख्या-5/स० (BIADA Restructuring)-04/2026

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की धारा-05 तथा धारा-15, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली 1981 की धारा-08 एवं उद्योग विभाग का संकल्प सं०-2538 दिनांक-19.06.2003 (कंडिका-5) तथा बियाडा (Financial Service And Technical) Regulation 2007, Part-II Sec-1.3 (i) में अंकित प्रावधानों के आलोक में नवीन बियाडा प्रशासनिक संरचना (BIADA Restructuring) पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अविनाश कुमार)

सरकार के उप सचिव

दिनांक-.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

दिनांक-.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2397

दिनांक- 14-05-26

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/निदेशक, एम०एस०एम०ई० निदेशालय/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव